न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 169/2016

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

वादी

1. केसरीमल पुत्र नारायणलाल
जाति–खटीक, निवासी–निम्बाहेड़ा
जिला–चितोड़गढ़
हाल–निवासी–टूंकड़ा
तह0–जैतारण, जिला–पाली

प्रतिवादीगण

1. भूण्डाराम पुत्र गोरधनराम
जाति–मेघवाल,निवासी–चिरपटिया
तहसील–मारवाड़ जं., जिला–पाली
हाल–निवासी–टूंकड़ा,तह.–जैतारण
2. शंकरलाल पुत्र मंगलाराम
जाति–मेघवाल,निवासी–भनवाड़ा
तहसील–डेगाना, जिला–नागौर
हाल–निवासी–टूंकड़ा,तह.–जैतारण
3. गोदाराम पुत्र गणेशराम
जाति–मेघवाल,निवासी–भैसाणा
तहसील–सोजतसिटी, जिला–पाली
हाल–निवासी–टूंकड़ा,तह.–जैतारण
4. भूण्डाराम पुत्र गुलाराम
जाति–मेघवाल,निवासी–भैसाणा
तहसील–सोजतसिटी, जिला–पाली
हाल–निवासी–टूंकड़ा,तह.–जैतारण
5. ढगलाराम पुत्र मुल्तान
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
6. सीता पत्नि भंवरू
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
7. शंकर पुत्र भंवरू
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
8. भींया पुत्र भंवरू
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
9. गोकल पुत्र भंवरू
10. पूसा पुत्र भंवरू
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
11. दाखूडी पुत्री भंवरू
जाति–बावरी,निवासी–टूंकड़ा
12. हेमाराम पुत्र भभूत फौत
के कायम मुकाम :–
12/1 सुशीला बेवा हेमाराम
12/2 शेरूराम पुत्र हेमाराम
12/3 सुखाराम पुत्र हेमाराम
12/4 कालूराम पुत्र हेमाराम
12/5 रमेश पुत्र हेमाराम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

12/6 गोपाल पुत्र हेमाराम

12/7 पूजा पुत्री हेमाराम

प्रति0 संख्या 12/2 से 12/7

नाबालिग कुदरती वलिया माता

सुशीला पत्नि हेमाराम

जाति-बावरी, निवासी-टूंकड़ा

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

13. तहसीलदार, जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.01/06/2016**

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 07/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 15-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 तक का शेष हिस्से की भूमि पर हिस्सा व हक अधिकार हैं। नकल चालु जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की पेश की हैं। इस वाद पत्र में वर्णित उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारों आपु बेवा हापू, चेना रूपा सरूपा कमली राजूडी छोटूडी मेती पि0 हापू, मीरा पुत्री आईदान के हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार थे। इन सभी खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु वादी को बेचान करना तय कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 01/03/2016 को बेचान कर दिया था तथा प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं भूमि का कब्जा भी मौके पे वादी को सुपुर्द कर दिया था, जो उप पंजीयक कार्यालय जैतारण के कार्यालय की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 257 पृष्ठ संख्या 136 क्रम संख्या 2016000916 पर पंजीबद्ध हैं एवं इसी विवादित भूमि के अन्य पूर्ववर्ती खातेदार मदनलाल, बद्रीलाल, पप्पू, रतनलाल पि0 भबूत, मगदू पुत्री भबूत, उगमा पत्नि भबूत के हक हिस्सा व खातेदार अधिकार थे। इन सभी खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु वादी को बेचान करना तय कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय के दिनांक 12/04/2016 को बेचान कर दिया था व प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं भूमि का कब्जा भी मौके पे वादी को सुपुर्द कर दिया था, जो उप पंजीयक कार्यालय जैतारण के कार्यालय की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 258 पृष्ठ संख्या 184 क्रम संख्या 20160001364 पर जिनकी प्रतिलिपि संलग्न हैं। उक्त विवादित भूमि का वादी के पक्ष में आज दिनांक को नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो पायी हैं। नकल पंजीबद्ध बेचाननामा की प्रति इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारों के हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार थे। इन सभी खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु वादी को बेचान कर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

दिया था। प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं भूमि का मौके पर कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व से यानि पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही अलग–अलग भागो में माफिक कब्जा अनुसार बंटी हुई थी व इसी माफिक वादी ने वक्त खरीद के कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। परन्तु इस वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा होकर इन्द्राज नहीं हुआ हैं। वादी ने मौके पर इस भूमि के विक्रेताओं से जमीन खरीद की थी। उसके पहले से ही पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही उक्त विवादित भूमि अलग–अलग बंटी हुई थी। तब वादी ने मौके पर विक्रेताओं के कब्जेनुसार ही प्रतिफल की राशि देकर के जमीन खरीद की थी व मौक पर कब्जा प्राप्त किया था। वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे स्थिति अनुसार नजरी नक्शा बनाकर इस वाद के साथ पेश किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारान् के दर्ज हैं। जिसका कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। वादी मौके पर अपने हक व हिस्से की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लेना चा रहा हैं। लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किस्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे हैं तथा दिनांक 05/05/16 को प्रतिवादीगण ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। जबकि वादी अपने हक व हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी हैं। इस अवस्था में वादी के पास यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती हैं, लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं एवं मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के हैं, जो वादी के हिस्से व कब्जे पर नापचौंप को लेकर विवाद कर रहे हैं एवं इसी नियत से वादी के कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं एवं वादी द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादी को बेदखल कर वादी की कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया, तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग / उपभोग करने से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 13(तेरह) तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं, जिनके विरूद्ध वाद पत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 05/05/2016 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने से स्पष्ट ईन्कार करने

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

पर व शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने एवं खेत के चारों तरफ लगी अन्दक व तारबन्दी को तोड़फोड़ करने से मना करने पर नहीं माने तब मुकाम-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रति0 संख्या 5 से 11 व 13 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 12 हेमाराम के फौत होने से संशोधित शीर्षक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम10(2) तथा 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 12/1 से 12/6 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 15-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1358 दिनांक 28/12/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/2025 दिनांक 16/04/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 15-08

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सीता पत्नि भंवरू शंकर भीया गोकल पूसा पि. भंवरू दाखूडी पुत्री भंवरू 15/24 शेरुराम सुखाराम कालुराम रमेश गोपाल पि. हेमाराम सुशीला पत्नि हेमाराम पूजा पुत्री हेमाराम 9/24 कौम बावरी सा.देह खातेदार।	49/1	1-04-00	बा0दो0	0.30 रू.
2	शंकरलाल पुत्र मंगलाराम कौम मेघवाल सा. भनवाड़ा (डिगाना) 113/284 गोदाराम पुत्र गणेशराम कौम मेघवाल सा. भैसाणा (सोजत) 16/284 भुण्डाराम पुत्र गुलाराम कौम मेघवाल सा. भैसाणा (सोजत) 20/284 केसरीमल पुत्र नारायणलाल कौम खटीक निवासी श्रीराम कॉलोनी निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ 73/284 खातेदार भुण्डाराम पुत्र गोरधनराम कौम मेघवाल सा. चिरपटिया(सोजत) 62/284 खातेदार।	49	14-04-0	बा0दो0	3.55 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

07/05/18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (टूंकड़ा),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 07/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में सुनाया गया।

07/05/18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (टूंकड़ा),
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner